चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १२१वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक १८ जनवरी, २००३

स्थान : कुलपति समिति कक्ष,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

(82.13)

राजीव कुमार दीक्षित
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर - २०८ ००२
फोन : ५४०५६१ (कार्यालय)
पी०बी०एक्स० : २९६६४१-४५ (१७३)

१-	कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	अध्यक्ष
२-	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
३-	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
४-	सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
५-	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
६-	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
७-	डा० बी०एस०हन्सरा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली	सदस्य
८-	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद, अशोक नगर, इटावा	सदस्य
९-	डा० एच० के० सक्सेना २ए/४०८ आजाद नगर, कानपुर।	सदस्य
१०-	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल, महामंत्री, गौशाला भवन, ५५/११२ जनरल गंज, कानपुर	सदस्य
११-	श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक, १५/५० सिविल लाइन्स, कानपुर।	सदस्य
१२-	श्रीमती मुन्नी देवी, ग्राम- खरौली, पोस्ट : जाफराबाद, कन्नौज	सदस्य
१३-	प्रोफेसर एस०एम०ए० रिजवी, बी-१/४ बाल्दा रोड कालोनी, निशात गंज, लखनऊ	सदस्य
१४-	श्री आसिफ अली खाँ, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, शाहाबाद, हरदोई	सदस्य
१५-	सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	विशेष आमंत्री

दिनांक : जनवरी २१, २००३

पत्रांक : सीएसयूपी- सी-३०३/बोर्ड-१२१/२००३

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १२१वीं बैठक जो दिनांक १८-०१-२००३ को कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

21.1.03

(आर० के० दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव प्रबन्ध मण्डल

C/C

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२
प्रबन्ध मण्डल की १२१वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२

दिनांक : जनवरी १८, २००३
समय : पूर्वान्ह १०.३० बजे

उपस्थिति

१-	डा० एस० बी० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
२-	श्रीमती अनीता सिंह, विशेष सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षाः प्रतिनिधि कृषि सचिव	सदस्य
३-	डा० बी०एस०हन्सरा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
४-	श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक	सदस्य
५-	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद	सदस्य
६-	डा० एच० के० सक्सेना,	सदस्य
७-	श्रीमती मुन्नी देवी	सदस्य
८-	श्री आसिफ अली खॉ	सदस्य
९-	प्रो० एस०एम०ए० रिजवी	सदस्य
१०-	श्री आर० के० दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थित

१-	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
२-	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
३-	सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
४-	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
५-	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य

मद संख्या १

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक २७.१२.२००२ को सम्पन्न हुई १२०वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने १२०वीं बैठक जो दिनांक २७.१२.२००२ को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या २

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १२०वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या ३

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का दिनांक ३१ मार्च १९९५ का आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स सीट) अनुमोदित करने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का दिनांक ३१ मार्च १९९५ का आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स सीट) पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ४

डा० महेश पाल के चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनराशि रू० २,१४,८५५.५० के भुगतान पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर डा० महेश पाल के चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनराशि रू० २,१४,८५५.५० पर चिकित्साधिकारी द्वारा संस्तुत झ० २,०२,५६७.९० पैसे पर अनुमोदन प्रदान किया किन्तु विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये संस्तुत धनराशि का ५०% अर्थात रू० १,०१,२८३.९५ पैसे के भुगतान पर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या ५

प्रबन्ध मण्डल की ११९वीं बैठक दिनांक १९.१०.२००२ के मद संख्या-१७ में लिये गये निर्णय के अनुपालन में डा० श्रीश कुमार को समन्वयक के समकक्षीय पद पर समायोजित करने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक विचार किया और निम्न निर्णय लियाः

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा पोषित परियोजना फसल प्रणाली परियोजना (Cropping System Research Project) में ई०सी०एफ० (Experiment on Cultivators fied) के कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये तथा ICAR द्वारा इस परियोजना में शीघ्र नियुक्ति किए जाने के अनुरोध के परिपेक्ष में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना में स्वीकृत सस्य विद् (Agronomist) (रू० १२०००-१८३००) के रिक्त पद के विरूद्ध डा० श्रीश कुमार को एक वर्ष के लिए इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि यह नियुक्ति शासन से सहमति प्राप्त हो जाने के परिणामस्वरूप नियमित नियुक्ति होने तक या एक वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी। डा० श्रीश कुमार विज्ञापन के उपरान्त प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होगें।

मद संख्या ६

शासनादेश संख्या स-४-४४४/दस-२००० दिनांक १४ जून, २००० के निर्णय अनुसार दिनांक २७.१२.१९९९ के पूर्व के लम्बित अवकाश नकदीकरण के भुगतान किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं निर्णय लिया कि अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर शासन के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय एंव शीघ्र निर्णय हेतु शासन से पुनः अनुरोध किया जाय।

मद संख्या ७

डा० जनार्दन चतुर्वेदी तदेन मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, मथुरा (वर्तमान मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर, थरियॉव) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता हेतु लगाये गये आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस तथा उस पर प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० जनार्दन चतुर्वेदी तदेन मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, मथुरा (वर्तमान मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर, थरियॉव) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता हेतु लगाये गये आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस तथा उस पर प्राप्त स्पष्टीकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया तथा उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया। अतः निम्न निर्णय लियाः

"डा० जनार्दन चतुर्वेदी तदेन मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, मथुरा जो (मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर, थरियॉव पर कार्यरत रहते हुए ३१/१२/२००२ को सेवानिवृत्त हो चुके हैं) को अनुमन्य होने वाली पेंशन में १/३ की कटौती करके पेंशन निर्धारित की जाय।"

मद संख्या ८

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शासनादेश संख्या-८४०/१२-८-४००(१६) /८४ दिनांक १०. ६.८४ में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन स्वीकृत किये गये प्रोन्नतियों/पदनामों को चयन समिति की संस्तुति के दिनांक से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल ने विस्तृत विचार विमर्श किया। पदनाम दिये जाने में कोई वित्तीय भार निहित नही है क्योंकि उच्च वेतनमान due date से ही, नियमानुसार, प्राप्त हो जाता है। लेकिन पदनाम उसी तिथि से न देने पर शिक्षकों के भविष्य की प्रोन्नतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षकों को पदनाम चयन समिति द्वारा संस्तुत तिथि से ही दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या ९

विज्ञापन संख्या १/२००२ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) द्वारा विज्ञापित कृषि ज्ञान केन्द्र एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के क्रमशः ट्रेनिंग आर्गनाइजर तथा कोआर्डिनेटर के पदों पर साक्षात्कार के उपरान्त चयन संस्तुतियों के बन्द लिफाफे खोलकर नियुक्तियों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मंडल ने कृषि ज्ञान केन्द्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के निम्न पदों पर चयन समितियों की संस्तुतियों को स्वीकृत प्रदान किया।

S.No.	Name of Post	Name of Selected Candidate & Category	
1.	Co-ordinator (KGK)	1- Dr. Ram Prakash	SC
		2- Dr. Subhash Chandra	SC
2.	Training Organisor (KVK)	1- Dr. Ashok Kumar	SC

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु, शासन से प्राप्त पत्र जिसमें तथाकथित अनियमितता का संदर्भ मात्र दिया गया है का परीक्षण कराकर, आदेश निर्गत करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या १०

डा० मोती सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग के विरूद्ध जॉच अधिकारी डा० के० डी० उपाध्याय, अधिष्ठाता, कृषि संकाय द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या पर विचार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने जॉच अधिकारी की आख्या पर विचार कर तथा महामहित कुलाधिपति के आदेश संख्या ई-४२००/जीएस दिनांक २६ सितम्बर २००२ में दिये गये निर्देशों तथा इस प्रकरण को पुनः संदर्भित करने पर महामहिम कुलाधिपति के पत्र संख्या - ई-६३५१/जी०एस० दिनांक २६.१२.२००२ में दिये गये आदेशों के क्रम में निर्णय लिया कि डा० मोती सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग को १.५.६४ से ३१.५.६६ की अवधि का वेतन भुगतान कर दिया जाय।

मद संख्या ११

विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री ए०के० सिंह, अवर अभियन्ता वेतनमान रू० १७४०-३००० को प्रबन्ध मण्डल की ११८वीं बैठक दिनांक १.७.२००२ के क्रम में प्रोन्नति का अवसर प्रदान कराये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया कि श्री ए०के० सिंह, अवर अभियन्ता वेतनमान रू० १७४०-३००० को उनके अनुमन्यता की तिथि से वेतनमान रू० ८०००-१३५०० व्यैक्तिक रूप से अनुमन्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या १२

विश्वविद्यालय में एक एम्बेस्डर कार तथा जिप्सी क्रय करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं निष्प्रयोज्य वाहन संख्या य०ूआर०क्यू०-२००६ के स्थान पर एम्बेसडर कार क्रय करने एवं एग्रोनामी विभाग में आई०सी०ए०आर० योजना ई०सी०एफ० के अर्न्तगत निष्प्रयोज्य जीप संख्या यू०आर०डी०-६६२० के स्थान पर नई जीप आई०सी०ए०आर० की उक्त योजना से क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की।

श्री अशोक कुमार दुबे, सदस्य, प्रबन्ध मण्डल का कार्यकाल दिनांक ३१.०१.२००३ को पूर्ण होने पर उनके द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यो के विकास हेतु दिये गये सुझाव/योगदान के लिये विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा उनकी सराहना की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि श्री अशोक कुमार दुबे, सदस्य, प्रबन्ध मण्डल को प्रबन्ध मण्डल की भावना से अवगत करा दिया जायें।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

21.1.03

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

दिनांक : २१ जनवरी, २००३